"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014—श्रावण 8, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–8/आठ–परि./2013.– यतः रामकृष्ण मिशन आश्रम; नारायणपुर द्वारा अबूझमाड़िया जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं तथा इस प्रयोजन के लिये आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयानों, जिसमें स्कूल बस सम्मिलित है का उपयोग गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है;

और यतः, राज्य शासन का यह मत है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना जनहित में वांछनीय है;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के निम्नलिखित मोटरयान को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा, अर्थात्:–

सारणी

स. क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीजी04/4162/41 टीआर	स्कूल बस	एमएटी455104डी 8 जे 25860	497 एसपी 68 एचडब्ल्यूवाई 644331

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2014

NOTIFICATION

F 5-8/viii-Trans/2013.– Whereas, Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur is indulged in multidimensional social services for the overall development of Abhujmariya tribes and for this purpose various type of motor vehicles, including school bus owned by the Ashram are being used for free transportation of poor and tribal children and for other social services;

And whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicles tax in the public interest;

Now therefore, in excercise of powers conferred by section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No.25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the following motor vehicle, as specified in the table below, owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, namely:-

TABLE

S. No.	Vehicle Registration Number	Type of Body	Chassis Number	Engine Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CG04/4162/41 TR	School Bus	MAT 455104 D 8 J 25860	497 SP 68 HWY 644331

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.